न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान) कैम्प खाचरियावास

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खाचरियावास व भू.अ.नि. खाचरियावास की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार — की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... प0ह0 ..... तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् — में खाता संख्या — में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	खाचरियावास	खसरा नम्बर- 1274, 1275, 1276 किता-3 कुल रकबा 4.66 है०	वारीगण के पिता का नाम नारायणसिंह	वारीगण के पिता का नाम नारायणसिंह के स्थान पर रामसिंह उर्फ नारायणसिंह दर्ज करने आदेश दिये जाते है किसी भी न्यायालय का स्थाई आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में आलवराड जिला धौलपुर राज० दर्ज बहादुर रहे।
2.	रामजीपुरा प.ह० चैनपुरा	खसरा नम्बर 653, 683 किता-2 कुल रकबा 0.19 है०		

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 45

दिनांकः– 08.10.2021

प्रतिलिपिः–

1 तहसीलदार, दांतारामगढ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।

3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के अभियान–2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर।